<u>प्रतिवेद्य</u>

उच्चतम न्यायालय के समक्ष

अपराधिक अपीलीय अधिकारिता

अपराधिक अपील संख्या – 250/2020

<u>विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) संख्या – 5224/2017</u>

अरून सिंह और अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव और अन्य के द्वारा .....प्रतिवादी(गण)

<u>निर्णय</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित 24.11.2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'सीआरपीसी) के तहत दायर याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती दी गई है उच्च न्यायालय ने

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सीआरपीसी की धारा 482 को खारिज करते हुए आरोपी अपीलकर्ताओं को आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करते हैं और जमानत के लिए आवेदन करते हैं, **अमरावती और अन्य बनाम यूपी राज्य** के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर तो इस पर विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है और इसे **लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम यूपी राज्य** में इस अदालत द्वारा पुष्टि की गई।

3. अनावश्यक विवरणों के बारे में संक्षिप्त तथ्य जो इस अपील को दाखिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पुलिस स्टेशन इज्जत नगर, जिला बरेली में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 493 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसे अपराध संख्या 431/2014 के रूप में दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाये गये थे कि प्रत्यर्थी संख्या -2 अपीलार्थी के पास अपनी पुत्री 'ज्योती' के विवाह का प्रस्ताव अपीलार्थी संख्या 1 के लिए उनके पास गये थे। दिनांक 30 जून 2013 को अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 के धर गया और उनकी पुत्री से मिलने के पश्चात प्रस्तव के लिए सहमती दे दी। दिनांक 21.07.2013 को सगाई समारोह हुआ था और विवाह की तिथी 19.11.2013 को तय कर दी गई थी। इसके पश्चात, अपीलार्थी संख्या -2 शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या -2 के घर अक्सर आना जाना प्रारम्भ कर दिया और उसकी पुत्री को बहकाने लगा कि क्याकी उनका विवाह तय हो गया और केवल 'फेरा' की रस्म बची है और विभिन्न अवसरों में उसे बाहर धुमाने ले गया। दिनांक 16.08.2013 को अपीलार्थी संख्या -2 ज्योती को एक कमरे में ले जाने के लिए प्रेरित किया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये। हालांकि, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी पाँच लाख रूपये की राशी को दहेज के रूप माँगना प्रारम्भ कर दिया। इस सम्बन्ध में एक शिकायत महिला थाना में दर्ज कराई गई परन्तु कोई

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कार्यवाही नही की गई। यह जानने के पश्चात कि अपीलार्थी संख्या -2 की शादी किसी अन्य लड़की के साथ दहेज की मोटी रकम के साथ तय कर दी गई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी।

4. मामले की तफ्तीश सम्बन्धित पुलिश स्टेशन के द्वारा की गई और अपीलार्थी के विरूद्ध एक आरोपपत्र दायर किया गया, जिसे उच्च न्यायायल के समक्ष रिट याचिका सी.आर.पी.सी की धारा 482 के तहत चुनौती दी गई।

5. वाद को उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता और परिवार के सदस्यों का व्यवहार शादी की तिथी तय करने के पश्चात बदल गया और उन्होनें शादी के खर्चों को साझा करने से इंकार कर दिया जिसे पक्षकारों के मध्य बराबर वहन करने की सहमती बनी थी। इसके आगे, अपीलार्थी से 10 लाख रूपये की माँग यह धमकाते हुए किया कि उन्हे एक झूठे केश में फसा देगें यदि उनकी माँग पूरी न की गई। आगे यह दलील दी गई कि अपीलार्थी संख्या -2 ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन शिकायतकर्ता और अन्य परिवार के सदस्यों के विरूद्ध एसीजेएम के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यवाही में देरी के कारण अपीलार्थी संख्या - 2 के द्वारा एक शिकायत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत महिला थाना में दर्ज कराई गई। महिला थाना के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा दोनों विवादित पक्षकारों को समझौता करने के लिए बुलाया। समक्षौते के दृष्टिकोण से उपस्थित हुए अपीलार्थी आवेदन को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर नहीं किया। हालाकिं, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या -2 समझौते के 10 माह के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई।

6. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष यह है कि याचिका को खारिज करने के लिए और आरोप पत्र को खारिज करने का कोई अधिकार नही था।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. अपीलार्थी के लिए विद्वत अधिवक्ता ने जोर देकर तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के द्वारा मामलें को विचारण करने और मुल्याकन करनें में असफल रहा कि नये अपराधिक कृत्य को उसी वादहेतुक के तहत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिसे पहले 10 महा पूर्व समझौते के द्वारा तय कर दिया गया था जिसे दोनों पक्षकारों के द्वारा किया गया था।

8. विद्वत अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि उच्च न्यायालय के द्वारा मामलें को विचारण करने और मुल्याकन करनें में असफल रहा कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोप यदि पूर्ण रूप से देखा जाये और पूर्ण रूप से सही माना जाये तो प्रथमदृष्टया किसी अपराध करने के बारे मे नहीं बताते है और एक तुच्छ संज्ञेय अपराध मात्र है। अपीलार्थी की तरफ से यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों को सही से मूल्यांकन और विचारण नहीं किया कि एफ .आई.आर में दर्ज आरोप, प्रथमदृष्टया, किसी आपराध का गठन नहीं करते और 482 की याचिका को बिना उल्लेख किए हुए मामले के पहलू को देखते हुए खरिज करने योग्य है।

9. प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वत अधिवक्ता के अपीलकर्ता की तरफ से प्रसतुत उक्त तर्कों का खंडन किया गया और कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दण्ड सहिंता (संक्षेप में आई.पी.सी.) की धारा 493 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ¾ के तहत दर्ज कराई गई है और उपरोक्त अपराध प्रकृति में अशमनीय अपराध है और इस प्रकार उनका समझौता नही किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये आरोप विवेचना में सही पाये गये है और इस प्रकार पुलिस के दाखिल आरोपपत्र के तहत उच्च न्यायालय ने उपरोक्त के खंडन के लिए याचिका को खारिज कर सही किया।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10. हमने विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखित तथ्यों का अवलोकन किया है।

11. धारा 493 के तहत अपराध अ-शमनीय अपराध है। इसी प्रकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ¾ के तहत भी अपराध अ-शमनीय है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 8(2) के दृष्टिकोण में, जो हमे यह बताता है कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध गैरजमानतीय और अशमनीय होगें।

12. यद्यपि प्रश्नगत अपराध अशमनीय अपराध है लेकिन न्यायालय की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार के अपराधों की कार्यवाही को समाप्त करने की शक्तियाँ इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से मान्यता प्राप्त है और मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नही है इस न्यायालय ने तीन न्ययाधीश की पीठ के **जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य** वाद में दिए गये अवलोकनों का सन्दर्भ दिया गया है।

> " बचावकर्ता और पीड़ित पक्ष के मध्य समझौते के आधार पर अपराधिक कार्यवाहियों का खडंन अपराध का शमनीय करने के समान नहीं है। वे भिन्न है और परिवर्तनीय नही है। धारा 320 के तहत न्यायालय को प्रदत्त अपराध को शमन करने की शक्तियाँ उच्च न्यायालय के अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार के तहत अपराधिक कार्यवाहियों का खड़ंन करने की शक्तियाँ के विषय में कड़ाई से कहा कि वह भौतिक रूप से भिन्न है। अपराध को शमन करते हुए एक आपराधिक न्यायालय की शक्ति धारा 320 में निहित प्रावधानों द्वारा परिचालित है और न्यायालय पूरी तरह से निर्देशित है और जबकि दूसरी ओर, एक दण्डिक अपराध या आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा राय का गठन अभिलेखित सामग्री द्वारा निर्देशित होता है कि क्या न्याय के उद्देश्य शक्ति के इस तरह के प्रयोग को उचित ठहराएंगे, हालांकि अंततः परिणाम अभियोग से बरी या बर्खास्तगी हो सकता है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बी.एस. जोशी, निखिल मर्चेंट, मनोज शर्मा और शिजी को इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कि उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके रद्द कर सकता है और धारा 320 धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करता। क्या यह कहा जा सकता है कि बी.एस. जोशी, निखिल मर्चेंट, मनोज शर्मा और शिजी इस न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से गैर-शमनीय अपराधों को कम किया है? हम ऐसा नहीं सोचते। धारा 320 के तहत और धारा 482 के तहत किसी अपराध के गठन के लिए निहित शक्ति के प्रयोग में एक उच्च न्यायालय द्वारा एक आपराधिक मामले को रद्द करने के बीच अंतर मौजूद है। दोनों शक्तियां भिन्न और अलग हैं, हालांकि अंतिम परिणाम एक ही हो सकता है जैसे आरोपी को बरी करना या अभियोग को खारिज करना।

13. ***परबतभाई अहीर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य५*** के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उदाहरणों का विश्लेषण करने के बाद, उपरोक्त मुद्दे ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 15 में व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है:-

15. " इस विषय पर उदाहरणों से उत्पन्न होने व्यापक सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रस्तावों में संक्षेपित किया जा सकता है:

(I). धारा 482 किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सुरक्षित रखता है। यह प्रावधान नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो यहां उच्च न्यायालय में निहित हैं;

(II) प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कि अपराधी

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है, अपराध के गठन के उद्देश्य के लिए अधिकार क्षेत्र के आह्वान के समान नहीं है। किसी अपराध का गठन होने पर, अदालत की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। जबकी अपराध यदि गैर-शमनीय हो तो धारा 482 के तहत रद्द करने की शक्ति आकर्षित होती है।

(III) एक राय बनाने में कि क्या धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एक आपराधिक कार्यवाही या शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए या उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या न्याय के उद्देश्य निहित शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराएंगे।

(IV) जबकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का दायरा बहुत व्यापक और बहुतायत है और इसका प्रयोग (i) न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना है;

(V) शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द करने का निर्णय कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद सुलझा लिया है, अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का कोई विस्तृत विवरण तैयार नहीं किया जा सकता है;

(VI) धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में और एक याचिका पर विचार करते समय कि विवाद का निपटारा हो गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए।मानसिक विकृति या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद को सुलझा लिया है। इस तरह के अपराध, वास्तव में, प्रकृति में निजी नहीं हैं, लेकिन समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में सुनवाई जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हित के प्रमुख तत्व पर आधारित हैं;

(VII) जैसा कि गंभीर अपराधों से अलग है, ऐसे आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनमें दीवानी विवाद का अपरिहर्य या प्रमुख तत्व हो। जहां तक रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का संबंध है, वे एक अलग पायदान पर खड़े हैं

(viii) वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या अनिवार्य रूप से नागरिक स्वाद के साथ इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराधों से जुड़े आपराधिक मामले उचित परिस्थितियों में रद्द किये जा सकते हैं जहां पक्षकारों ने विवाद सुलझा लिया है

(IX) ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि विवादित व्यक्तियों के बीच समझौते को देखते हुए, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह पैदा होगा; तथा

(X) उपरोक्त प्रस्तावों (viii) और (ix) में निर्धारित सिद्धांत का अभी तक अपवादित है। राज्य के वित्तीय और आर्थिक कल्याण से जुड़े आर्थिक अपराधों के निहितार्थ हैं जो निजी विवादों के बीच एक मात्र विवाद के दायरे से परे हैं। उच्च न्यायालय को उस मामले को रद्द करने से इंकार करना उचित होगा जहां अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध के समान गतिविधि में शामिल है। वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर शिकायत किए गए अधिनियम के परिणाम संतुलन में होंगे।."

14. ***नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले६*** के एक अन्य निर्णय में यह देखा गया है कि समाज के खिलाफ अपराध के संबंध में अपराधी को दंडित करना कर्तव्य है। इसलिए, यहां तक कि जहां अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वही मान्य नहीं होगा क्योंकि यह समाज के हित में है कि अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए जो दूसरों के लिए समान अपराध करने से रोकता है। दूसरी ओर, उस श्रेणी में आने वाले अपराध हो सकते हैं जहां आपराधिक कानून के सुधारात्मक उद्देश्य को निवारक दंड के सिद्धांत की तुलना में अधिक महत्व देना होगा। ऐसे मामलों में, अदालत की राय हो सकती है कि पक्षकारों के बीच एक समझौता उनके बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देगा और एक निजी विवाद को हल करेगा और इस प्रकार कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी या जैसा भी मामला हो को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

15. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जो निर्धारित किए गए हैं, उनमें हमारा विचार है कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को आरोपित किया गया है, वे वास्तव में समाज के खिलाफ अपराध हैं और प्रकृति में निजी नहीं हैं। ऐसे अपराधों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों की सुनवाई जारी रखना ऐसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हितों के गंम्भीर प्रभाव पर आधारित है। यह न तो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाला अपराध है या इसमें नागरिक विवाद का कोई तत्व है, इसलिए यह एक अलग स्तर पर खड़ा है। ऐसे मामलों में, शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता होने पर भी, वह प्राथमिकी या आरोपपत्र रद्द करने के लिए एक वैध आधार नहीं बन सकता है।

16. इस प्रकार उच्च न्यायालय को पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर आरोप पत्र को रद्द करने से इनकार करने को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

17. अगला मुद्दा जो विचारण के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या एफआईआर में लगाए गए आरोप एक अपराध के कृत्य का गठन करते हैं। जैसा कि यहां ऊपर कहा जा चुका है, अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 493

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 के तहत आरोप लगाया गया है।

धारा 493 इस प्रकार है:-

> "***<u>विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास-</u>*** *हर पुरुष जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"*

18. धारा का एक सादा वाचन यह दर्शाता है कि इस धारा के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह प्रदर्शित करना होगा कि एक पुरुष ने धोखे से किसी भी महिला को, जो उससे कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता कि वह कानूनी विवाहित पत्नी रूप से है और उसके साथ सहवास करता है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त को एक महिला को, जो उसके साथ कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह उससे विवाहित है और इस तरह के गलत प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप, महिला को यह विश्वास करना चाहिए कि उसका पुरुष से कानूनी रूप से विवाह हुआ था और इस प्रकार ऐसा सहवास या संभोग होना चाहिए।

19. ***राम चंद्र भगत बनाम झारखंड राज्य*** के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आई.पी.सी. की धारा 493 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद निम्नानुसार अवधारित किया है: -

> "धारा 493 आईपीसी के अवलोकन पर, यह स्थापित करने के लिए कि एक व्यक्ति ने उक्त धारा के तहत अपराध किया है, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति ने धोखे से एक महिला को विश्वास दिलाया था, जो उससे कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, कि वह एक है उस व्यक्ति की

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और उसके बाद उसे सहवास करना चाहिए या उस व्यक्ति के साथ संभोग करना चाहिए था। उपरोक्त धारा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि आरोपी को एक महिला को, जो उसके साथ कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह उससे विवाहित है और उपरोक्त बहकावे के परिणामस्वरूप,महिला को विश्वास करना चाहिए कि उसने उससे कानूनी रूप से शादी की थी और धोखे के परिणामस्वरूप सहवास या संभोग होना चाहिए।"

"यदि एक महिला को एक अविवाहित से एक विवाहित महिला की स्थिति बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो बदले हुए रिश्ते से संबंधित सभी कर्तव्यों और दायित्वों के साथ और उस परिणाम को छल से पूरा किया जाता है तो विधी के अन्तर्गत ऐसी महिला को कहा जा सकता है कि उसे धोखा दिया गया है और धारा 493 आईपीसी के तहत अपराध को माना जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा धोखे से किसी महिला को अविवाहित महिला से कानूनी रूप से विवाहित महिला के रूप में अपनी स्थिति बदलने के लिए प्रेरित करना और उस प्रलोभन पर उसके साथ सहवास करना इस विश्वास में कि वह उससे कानूनी रूप से विवाहित है, धारा 493 के तहत अपराध का गठन करता है।पीड़ित महिला को वह करने के लिए प्रेरित किया गया है, लेकिन झूठी प्रथा के लिए, उसने ऐसा नहीं किया होगा और उसकी सामाजिक और घरेलू स्थिति को बदलने के लिए उसे प्रेरित किया गया है। धारा 493 के अवयवों को सिद्ध होने पर पूर्णतः संतुष्ट कहा जा सकता है।- (अ) एक वैध विवाह के अस्तित्व का झूठा विश्वास पैदा करने वाला धोखा, और (ब) ऐसा विश्वास पैदा करने वाले व्यक्ति के साथ सहवास या संभोग। व्यक्तिगत कानून के अनुसार विवाह के तथ्य को स्थापित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक पुरुष द्वारा एक महिला को एक अविवाहित से कानूनी रूप से विवाहित महिला की स्थिति में अपनी स्थिति बदलने और फिर उस महिला को उसके साथ रहने के लिए प्रेरित करने का सबूत आवश्यक है। धारा 493 आईपीसी के तहत अपराध स्थापित करता है।"

20. आईपीसी की धारा 493 के तहत एक अपराध का मूल तत्व यह है कि एक पुरुष द्वारा एक महिला पर धोखे का अभ्यास है, जिसके परिणामस्वरूप महिला को यह विश्वास हो जाता है कि वह उससे कानूनी रूप से विवाहित है, हालांकि वह नहीं है और फिर उसे उसके साथ सहवास करना।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

21. धोखे को किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर और लापरवाही से इस आशय से दिया गया झूठा बयान कहा जा सकता है कि उस पर किसी अन्य द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जो उस पर विश्वास करने के बाद उस पर कार्रवाई करने के बाद एक कानूनी कार्यवाही का शिकार होता है। यह धोखा देने का एक प्रयास है और इसमें ऐसी घोषणा और बयान शामिल है जो दूसरों को गुमराह करता है या उसे विश्वास दिलाता है जो अन्यथा गलत और गलत है।

22. दूसरे शब्दों में, धारा 493 आईपीसी के तहत एक अपराध का गठन करने के लिए, प्राथमिकी में आरोपों को प्रदर्शित करना चाहिए कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता की बेटी के साथ धोखा देकर बहकाया था, जिससे वैध विवाह के अस्तित्व का झूठा विश्वास पैदा हुआ और जिसके कारण वह उसके साथ रहने लगी।

23. एफ.आई.आर. के अवलोकन से, हम यह नहीं पाते हैं कि इसमें लगाए गए आरोपों को आईपीसी की धारा 493 के तहत किसी भी अपराध का गठन करने के लिए कहा जा सकता है। पीड़िता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसने अपीलकर्ता से कानूनी रूप से शादी की थी, किसी भी प्रलोभन या किसी धोखे का आरोप नहीं है, जो उसे आरोपी अपीलकर्ता संख्या 1 के साथ संभोग करने के लिए गुमराह करता है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल आरोप यह है कि "शादी तय होने के बाद, अपीलकर्ता सख्यां 1 शिकायतकर्ता के घर बार-बार आना शुरू कर देता था और उनकी बेटी को गुमराह और उकसाता था कि उनका विवाह तय हो गया है और केवल 'फेरा होना' शेष है। दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 16.08.2013 को, अपीलकर्ता नंबर 1 ने छुट्टी ली और बहला-फुसलाकर उनकी बेटी को अपने कमरे में ले गया और वादा करते हुए कि वह उसकी पत्नी है और उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

24. बयानों का अवलोकन करने से पता चलता है कि धारा 493 आई.पी.सी के तहत अपराध करने के लिए सामग्री बयान से लुप्त है। आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता में विश्वास के किसी भी प्रलोभन को समाप्त नहीं करते हैं कि उसने अपीलकर्ता संख्या 1 से कानूनी रूप से शादी की है और इस कपटपूर्ण गलत बयान के कारण, पीड़िता ने आरोपी के साथ सहवास किया। चूंकि धारा 493 आई.पी.सी के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री एफ.आई. आर में लगाए गए आरोपों से गायब हैं, इसलिए उक्त धारा के तहत अपराध को अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है।

25. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस संबंध में जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे केवल आरोपी-अपीलकर्ता संख्या 1 के खिलाफ लगाए गए हैं, जो भी अपराध नहीं हैं और अन्य पांच आरोपियों-अपीलार्थीयों के संबंध में इस संबंध में कोई आरोप नहीं हैं।

26. उच्च न्यायालय यहां ऊपर चर्चा किए गए उपरोक्त पहलुओं पर स्वयं उल्लेख करने में विफल रहा है और उस सीमा तक, निर्णय कायम रहने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

27. अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अन्य आरोप दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत हैं। उक्त धाराएँ निम्नानुसार हैं: -

> ***<u>दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति - (1)</u>*** *यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह् कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा:*

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, [पांच वर्ष] से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

[(2) उपधारा (1) की कोई बात, या के सम्बन्ध में–

(क) ऐसी भेटों को, जो बधू को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी परन्तु यह तब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं,

(ख) ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं,

परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती हैं वहां ऐसी भेंटें रुढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं।

<u>दहेज मांगने के लिए शास्ति-</u> *यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या बर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक, से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह् कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।*

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से , जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

28. दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप बहुत विशिष्ट हैं। प्रासंगिक आरोप यहां पुन: प्रस्तुत किए जा रहे हैं: –

> "इस आवेदक ने न केवल बारात घर ओम लॉन को शादी की पार्टी के लिए अंतिम रूप दिया और 20,000 / – रुपये का अग्रिम भुगतान किया, बल्कि अरुण अपने माता–पिता और सभी विरोधी दलों के साथ 5 लाख रुपये नकद की अपनी मांग पर कायम रहे। आवेदक एक गरीब कर्मचारी है।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इतनी बड़ी रकम देने में उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। लेकिन बहुत विनम्र अनुरोध और प्रार्थना करने के बावजूद विरोधी पक्ष राजी नहीं हो सके और उन्होंने पूरी पंचायत में 5 लाख रुपये की मांग की... ."

29. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व यह हैं कि आरोपी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुल्हन के माता –पिता या अन्य रिश्तेदारों या अभिभावकों से मांग करनी चाहिए थी। दूल्हा, जैसा भी मामला हो, चाहे कोई भी दहेज हो और/या दहेज लेने और देने के लिए उकसाता हो। एफ.आइ.आर के आरोप यहां ऊपर उद्धृत स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ताओं से 5 लाख रुपये के दहेज की मांग की गई थी और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज की मांग के प्रत्यक्ष आरोप होने के कारण, आरोप प्रथम दृष्टया दहेज निषेध अधिनियम के तहत एक अपराध के कृत्य का गठन करते हैं और इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

30. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं के मद्देनजर, हमारा विचार है कि जहां तक आईपीसी की धारा 493 के तहत अपराध का संबंध है, क्योंकि प्राथमिकी उक्त धारा के तहत किसी भी अपराध के होने के बारे में नही बताती है और इस प्रकार आपराधिक मुकदमा जारी है उक्त धारा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग मानी जाएगी और उस सीमा तक उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। हालांकि, जहां तक दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध का संबंध है, चूंकि आरोप प्राथमिकी में संज्ञेय अपराध के कृत्य के बारे में बताता हैं, यह धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिए उपयुक्त मामला नहीं है और उक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द की जाती है।

31. हमारी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, धारा 493 आई पी सी के संबंध में आरोप पत्र निरस्त किया जाता है। तथापि, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत आरोप पत्र के संबंध में अपील खारिज की जाती है।

.....

(न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा)

.....

(न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी)

नई दिल्ली,

10 फरवरी, 2020.

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।